

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2019 (रे.वि.)

पंजीयन दिनांक 13.02.2019

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (ईकाई- आदित्य सीमेंट वर्क्स) सावा-शम्भूपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर रमेशचन्द्र त्रिपाठी पिता रामअवध त्रिपाठी महाप्रबन्धक भूमि अर्जन उम्र 54 वर्ष निवासी आदित्यपुरम सावा, शम्भूपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

- 1-चतरु पिता रामा भील उम्र वयस्क जाति भील निवासी ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-भगवती पत्नी रामलाल भील उम्र वयस्क जाति भील निवासी ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 3-सत्तु बाई पत्नी राजू भील उम्र वयस्क जाति भील निवासी ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 4-पृथ्वीराज पिता मोडा भील उम्र वयस्क जाति भील निवासी ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956




उपस्थिति: 1- श्री रमेश चन्द्र गर्ग, अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी

निर्णय

दिनांक 03.03.2020

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने यह आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (ईकाई आदित्य सीमेंट वर्क्स) बी विंग आहुरा सेंटर, महाकाली केक्स रोड़, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई है, जिसकी एक ईकाई अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स लिमिटेड सावा शम्भूपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी को भारत सरकार द्वारा ग्राम सावा, केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में वृहद् सीमेंट प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की गई है एवं इसी क्रम में राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा प्रार्थी कम्पनी को प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत कच्चेमाल (लाईम स्टोन) की आपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम सावा, रेल का


जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 16/2019 (रे.वि.)
अल्ट्राटेक सीमेंट लि. बनाम श्री चतरु पिता रामा भील निवासी अमरपुरा वगैरा

अमराना, मेडी का अमराना, बड का अमराना, अमरपुरा, जोरावरसिंह का खेड़ा, नया खेड़ा, सिंदवडी व कारुदा आदि की कुल 771.10 हैक्टर भूमि खनन कार्य करने हेतु पत्र क्रमांक प/5/96/खानग्रुप-1/92 दिनांक 01.03.1994 को आवंटित हुई तथा जिसकी लीज डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 26.04.1994 को निष्पादित की गई। प्रार्थी माइनिंग लीज क्षेत्र में स्थित अवाप्त की गई व अन्य खातेदारों से प्राप्त भूमि पर खनन करता चला आ रहा है।


प्रार्थी कम्पनी के माइनिंग लीज क्षेत्र में ग्राम अमरपुरा की आराजी नम्बर 93 रकबा 0.44 है. किस्म चाही 1 एवं आराजी नम्बर 94 रकबा 0.45 है. किस्म चाही 1 किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.89 हैक्टेयर कृषि भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की स्थित है जिसमें विपक्षी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा 0.11125 है. एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 तक का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा रकबा 0.166875 है. (0.055625X3=0.166875 है.) दर्ज होकर कब्जे काश्त है।

उपरोक्त उल्लेखित सम्पत्ति विपक्षीगण के कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की होकर माइनिंग लीज क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी को खनन एवं अनुषांगिक प्रयोजनार्थ भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है तथा प्रार्थी के सीमेंट उद्योग के लिये कच्चे माल लाइम स्टोन की आपूर्ति हेतु खनन कार्य किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन कार्य नहीं कर सकेगी जिससे प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो सकेगा और सीमेंट उत्पादन संभव नहीं हो सकेगा जिससे संस्थान के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः धारा 89 (4) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम एवं माइनिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम अमरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित उक्त कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारित कराया जावे एवं मुआवजा राशि का भुगतान कराने पर उक्त कृषि भूमि का कब्जा विपक्षीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ से डी.एल.सी. दर प्राप्त की गई। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट प्लान्ट लगाने की अनुमति एवं राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत कच्चेमाल, लाईमस्टोन की आपूर्ति हेतु खनन कार्य हेतु भूमि आवंटित कर प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित की हुई है जिससे प्रार्थी कम्पनी माइनिंग लीज क्षेत्र में अवाप्त की गई व अन्य खातेदारों से प्राप्त भूमि पर खनन कार्य कर रही है एवं करेगी। प्रार्थी कम्पनी की माइनिंग लीज क्षेत्र में विपक्षीगण




जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

की खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि की प्रार्थी कम्पनी को माइनिंग प्रयोजनार्थ आवश्यकता है, जिससे राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (4) के तहत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा निर्धारण कराना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विपक्षीगण की भूमि का मुआवजा निर्धारण कराया जाकर अवाई आदेश पारित कराया जावे व बाद भुगतान मुआवजा राशि उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाने व राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि बिलानाम माइनिंग लीज प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकित करने का आदेश फरमावें।

विपक्षीगण ने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी के खनन क्षेत्र में स्थित विपक्षीगण की ग्राम अमरपुरा की आराजी नम्बर 93 रकबा 0.44 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 94 रकबा 0.45 है. किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर कृषि भूमि में से विपक्षीगण के हिस्से की 0.278125 है. भूमि का प्रार्थी कम्पनी से उचित मुआवजा राशि निर्धारित कर अवाई पारित किये जाने में हम खातेदारान् तथा हमारे परिवारजन को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आराजी की अवाई राशि से हम अन्यत्र भूमि कय करना चाहते हैं। निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त कर भूमि का कब्जा विधिपूर्वक संस्थान को सुपुर्द करने हेतु हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। अतः विपक्षीगण की अवाप्त की जा रही भूमि का उचित मुआवजा निर्धारण कर भूमि अवाप्त किये जाने का अवाई जारी फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी को खनन प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता होने से, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (4) के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण की उपरोक्त उल्लेखित भूमि का मुआवजा निर्धारण हेतु निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह निर्विवादित है कि प्रार्थी कम्पनी ने धारा 89(4), राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जिस भूमि का मुआवजा निर्धारण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें विपक्षीगण के अतिरिक्त अन्य सह खातेदारान का भी हिस्सा है अर्थात् उक्त भूमि शामलाती खाते की भूमि है तथा सह खातेदारान् के मध्य आराजीयात का विभाजन नहीं हुआ है एवं जब तक शामलाती खाते की भूमि का विभाजन नहीं हो जाता भूमि के प्रत्येक हिस्से/इंच पर सभी सह खातेदारान् का बराबर हक एवं अधिकार होता है।

प्रार्थी कम्पनी ने मात्र विपक्षीगण के हिस्से की भूमि का मुआवजा निर्धारण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है एवं सह खातेदारान् के मध्य भूमि-विभाजन के बिना ~~निर्धारण~~ आराजीयात में विपक्षीगण के हिस्से एवं कब्जे को निर्धारित नहीं किया जा सकता।



जिला कारागार
चित्तौड़गढ़




प्रकरण संख्या 16/2019 (रे.वि.)

अल्ट्राटेक सीमेंट लि. बनाम श्री चतुरु पिता रामा भील निवासी अमरपुरा वगैरा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सह खातेदारों में आराजीयात के विभाजन के उपरान्त अथवा सम्पूर्ण रकबे के संबंध में धारा 89 (4), राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी कम्पनी का अधिकार सुरक्षित रखते हुए आवेदन खारिज किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’




जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़